न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 217/2018

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति खाती निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र गंगाजल जाति खाती निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. कान्ता देवी पुत्री अमरसिंह पत्नी जगदीश प्रसाद जाति खाती निवासी कलाना हाल रेड़ी भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. बैंक आर.एम.जी.बी. शाखा कलाना जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बावत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा **: वादी**

वकील श्री संदीप बैनीवाल **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 11.1.19

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 240/216 के खसरा सं0 643 की 14.5850 है0 बारानी में से 1/5 हिस्सा भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि संयुक्त हिन्दू खान दान की जद्दी जायदाद है व वादी के पिता अमरसिंह को वादी के दादा गंगाजल से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है उक्त वाद भूमि खाता सं0 240/216 की कुल 14.5850 है0 बारानी में से प्रतिवादी सं0 1 की 1/5 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा है।

उक्त वाद भूमि पारिवारिक सैटलमेन्ट के मुताबिक वादी को प्राप्त हुई है इसी अनुसार वह भूमि काश्त करता चला आ रहा है और प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने पारिवारिक समझौता अनुसार उक्त भूमि में से अपने हक व हिस्सा को वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है। प्रतिवादीया सं0 2 वादी की बहिन है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाई वादी के पक्ष में तर्क की हुई है और प्रतिवादी सं0 1 वादी का पिता है जिसको बंटवारा में प्लाट, मकान, आरा मशीन, नगदी व जेवरात आदि अन्य सम्पति

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

प्राप्त हुई है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 ने भी उक्त भूमि में से अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के हिस्सा की 1/5 हिस्सा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो गया है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे के.सी.सी. ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद सं0 3 में दर्ज रोही मौजा कलाना के खाता सं0 240/216 के खसरा सं0 643 की कुल 14.5850 है0 बारानी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिह की बजाए वादी का हक हिस्सा घोषित करवा पाने का अधिकारी है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी विनोद कुमार के बयान करवाये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कलाना खाता सं0 240/216 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम कलाना सम्वत् 2050 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, चित्रप्रति आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्रदर्श 4 व 4ए, स्विंग मशीनरी लाईसेंस प्रदर्श 5ए व 5 प्रदर्शित करवाये। चित्रप्रति वसीयतनामा खुल्ला दिनांक 21.08.2008, वारिस प्रमाण पत्र पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खान दान की जद्दी जायदाद है व वादी के पिता अमरसिंह को वादी के दादा गंगाजल से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने वाद भूमि संयुक्त हिन्दू खान दान की जद्दी जायदाद होना व वादी के पिता अमरसिंह को वादी के दादा गंगाजल से प्राप्त होना अंकित किया है तथा अपने दावा के समर्थन में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम कलाना सम्वत् 2050 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई उसमें वादी भूमि गंगाजल वल्द मोटाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि पैत्रक होना व विरासतन चलते चले आना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में अमरसिह के वारिसान में पत्नी सरबती, एक पुत्र विनोद कुमार, एक पुत्री कान्ता देवी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 240/216 के खसरा सं0 643 की 14.5850 है0 बारानी में से 1/5 हिस्सा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है उक्त 1/5 हिस्सा कृषि भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 दोनों वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 217/2018

अनवान :

1. विनोद कुमार पुत्र अमरसिंह जाति खाती निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र गंगाजल जाति खाती निवासी कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. कान्ता देवी पुत्री अमरसिंह पत्नी जगदीश प्रसाद जाति खाती निवासी कलाना हाल रेड़ी भूरावास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. बैंक आर.एम.जी.बी. शाखा कलाना जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 श्री संदीप बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 के खाता सं0 240/216 के खसरा सं0 643 की 14.5850 है0 बारानी में से 1/5 हिस्सा कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है उक्त 1/5 हिस्सा कृषि भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 दोनों वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़